

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0:- 101/2026

1. सदीप कुमार पुत्र अनिल कुमार } जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी
2. नवीन कुमार पुत्र सज्जनराम } जिला हनुमानगढ।
3. रवीन कुमार पुत्र अशोक कुमार } वादीगण

बनाम

1. शांति देवी पत्नी कृष्णचंद्र जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मन्जू पुत्री कृष्णचन्द्र पत्नी मुकदलाल जाति जाट निवासी सुरेशवाला, फाजिल्का तहसील व जिला फाजिल्का।
3. इन्द्रसैन पुत्र कृष्णचंद्र जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. सज्जनराम पुत्र जगदीश फौत
4/1 गुडडी पत्नी सजन राम जाति जाट निवासी मेहरवाला तह0 टिब्बी हनुमानगढ।
4/2 बंटु कुमार पुत्री सजनराम पत्नी प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. अशोक कुमार पुत्र जगदीश } जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
6. अनिल कुमार पुत्र राजाराम } जिला हनुमानगढ।
7. सोनु पुत्री अनिल कुमार पत्नी महेश कुमार सहारण जाति जाट निवासी साहवा चूरु।
8. मनीषा पुत्री अनिल कुमार पत्नी पवन सहारण जाति जाट वार्ड न4 चक मनफुल सिंह वाला 18 एलएनपी लाधुवाला जिला श्रीगंगानगर।
9. सीता पत्नी अमर सिंह मटोरिया निवासी जाट बैंक कलोनी गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

दिनांक 15/4/26


डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीगण सं0 1 सदीप कुमार को प्राप्त आराजी:- चकनं0 5 एनडीआर के खाता सं0 82/3 में अंकित कुल 0.734 है0
ख. वादीसं0 2 नवीन कुमार व वादीसं0 3 रवीन कुमार बं0हि0ब0-चकनं0 6 एनडीआर के खाता सं0 4/3 में अंकित कुल 1.263 है0 में से प्रतिवादी सं0 3 इन्द्रसेन का 253/421 हिस्सा आराजी के खातेदार का तकार घोषित किये जाते है व चकनं0 5 एनडीआर के खाता सं0 82/3 में इन्द्रसैन, मन्जू शांतिदेवी का नाम कलमजन व चकनं0 6 एनडीआर के खाता सं0 4/3 में से इन्द्रसेन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/4/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण S.A.S)
उपस्थण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।